संख्या-76/एनजीओ 46/84-2-2013-सीपी 16/2003

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उन्नाव ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 19 नवम्बर, 2013

विषय स्वैच्छिक संगठन "गोल्ड स्टार ग्रामोद्योग संस्थान, 2/77, विजय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ" का कन्ज्यूमर वेलफेयर फण्ड सम्बन्धी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2073/जि0पू0अ0-उपभोक्ता सं0/13, दिनांक 22.10.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए संस्था के प्रस्ताव की दो प्रतियां (एक मूल एवं एक छायाप्रति) के साथ विद्यालयों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

(1) आपके उक्त पत्र में प्रस्ताव की मूल प्रति संलग्न कर भेजने का उल्लेख किया गया है जबकि पत्र के साथ प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

(2) संस्था द्वारा जनपद उन्नाव के 100 विद्यालयों में उपभोक्ता क्लब की स्थापना की इच्छा व्यक्त की गयी है, इस हेतु धनराशि रू0 1,81,71,585/- (एक करोड इक्यासी लाख इकहत्तर हजार पांच सौ पचासी) का अनुदान मांगा गया है। संस्था द्वारा अपने प्रस्ताव के पृष्ठ-69 पर धनराशि 20,22,215/- (बीस लाख बाइस हजार दो सौ पन्द्रह) तथा पृष्ठ-04 पर रू0 20,19,065/- (बीस लाख उन्नीस हजार पैसठ) अपनी ओर से व्यय करने का उल्लेख किया गया है जबकि पृष्ठ-57 पर संलग्न बैंक आफ बडौदा के एकाउन्ट स्टेटमेंट में दिनांक 19.06.2013 को धनराशि रू0 6,842/- बैलेंश दर्शायी गयी है।

(3) संस्था के प्रस्ताव में पृष्ठ 68 से 71 पर व्यय अंकित किया गया है, जिसमें 100 स्कूलों में उपभोक्ता क्लब की स्थापना हेतु धनराशि रू0 12,00,000/- (बारह लाख) का व्यय होना दर्शाया गया है जबकि पृष्ठ-69 पर योजना की कुल लागत (रिकरिंग एवं नान रिकरिंग व्यय) रू0 2,02,22,150/- (दो करोड दो लाख बाइस हजार एक सौ पचास) दर्शायी

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी है, जिसमें अन्य योजना के व्यय भी सम्मिलित हैं तथा इसमें 40 सेंटरों की स्थापना करते हुए जागरूकता कार्यक्रम का भी उल्लेख है।

(4) प्रस्ताव के पृष्ठ-68 से पृष्ठ-71 पर व्यय विवरण का जो प्रस्ताव संलग्न किया गया है, वह बिन्दु संख्या-6 से पूर्व अंकित 'नीड फॉर कन्ज्यूमर अवेयरनेस' से प्रारम्भ होता है, इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त में क्रम संख्या की टंककीय त्रुटि है अथवा बिन्दु संख्या-6 के पूर्व के बिन्दु 1,2,3,4 एवं 5 का विवरण संलग्न होने से छूट गया है।

(5) संस्था द्वारा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का उल्लेख किया गया है किन्तु उक्त कार्य कहाँ किया गया है, इसका उल्लेख नहीं है और तीनो वर्षो में एक ही प्रारूप का उल्लेख किया गया है।

(6) संस्था द्वारा संलग्न की गयी सम्परीक्षित लेखा रिपोर्ट वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उपभोक्ता जागरूकता क्षेत्र में व्यय होने का उल्लेख नहीं है।

(7) संस्था द्वारा संलग्न किये गये संशोधित स्मृति पत्र के उद्देश्य (बिन्दु संख्या-5) में उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र में कार्य करने का उल्लेख नहीं है।

(8) संस्था के प्रस्ताव के साथ 100 विद्यालयों, जिसमें उपभोक्ता स्कूल क्लब स्थापित किये जाने हैं, की सूची एवं प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है। सभी प्रमाण पत्र में उल्लिखित विवरण की भाषा शैली एवं फांट एक ही है। किसी विद्यालय द्वारा अपने लेटर पैड पर प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। कतिपय प्रमाण पत्र के ऊपर विद्यालय का नाम पेन द्वारा लिखा गया है, जिसकी लेखनी से यह प्रतीत होता है कि उक्त लेखन कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया है, जबकि विद्यालय पृथक-पृथक हैं। ऐसा किन परिस्थितियों में सम्भव हुआ कृपया इसे भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)

अनु सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या 76/एनजीओ 46(1)/84-2-2013-सीपी 16/2003</u>

प्रतिलिपि नियंत्रक] विधिक माप विज्ञान विभाग, 7 बालाकदर रोड] लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in